



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर



email Id: DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN & Phone No. 0141-2227033
क्रमांक: एफ 61(157)SDS/SRP/DRP/चयन संबंधी / 2021—III 03505 / जयपुर, दिनांक As per E-sign

कार्यालय आदेश

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 61 (21) SSAAT/ नियमावली/2019/7497 दिनांक 12.03.2020 (आदेश संख्या 02/2020) एवं एफ. 61 (21) SSAAT/नियमावली/2019/1805 दिनांक 27.11.2020 (आदेश संख्या 10/2020) के तहत जिला संसाधन व्यक्तियों के सोसायटी में रिक्त पदों के विरुद्ध सोसायटी के आदेश क्रमांक एफ 61(157)SSAAT/DRP/चयन संबंधी/2022-23/3781 दिनांक 05.09.2023, एफ 61(111)SSAAT/प्रशिक्षण/6280 दिनांक 05.12.2023 के द्वारा निम्न व्यक्तियों को जिला संसाधन व्यक्ति के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया था।

उक्त जिला संसाधन व्यक्तियों का सोसायटी के विनियम में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार संविदा सेवा अवधि में इनका कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर एवं इनकी सहमति के आधार पर समय-समय पर एक वर्ष के लिए सेवा अनुबन्ध किया गया था। तत्पश्चात सेवा अनुबन्ध अवधि में इनका कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर सोसायटी के आदेश क्रमांक राजकाज सन्दर्भ संख्या 19891812 दिनांक 13.01.2026 के द्वारा (6 माह के लिए) बढ़ाई गई थी। नीचे दी गई तालिका में (कंस 01 से 25 तक) अंकित जिला संसाधन व्यक्तियों का अनुबंध दिनांक 05.06.2026, 07.06.2026, 09.06.2026 एवं 12.06.2026 को समाप्त हो चुका है एवं कंस 26 पर अंकित जिला संसाधन व्यक्ति की अनुबन्ध अवधि दिनांक 09.07.2026 को समाप्त हो रही है।

अतः नीचे दी गई तालिका में अंकितानुसार जिला संसाधन व्यक्तियों की पूर्व सेवा अनुबन्ध अवधि में कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर एक वर्ष के लिए अथवा जिला संसाधन व्यक्तियों के पदों पर नवीन भर्ती होने तक जो भी पहले हो के लिए नवीन अनुबन्ध किये जाने के आदेश जारी किये जाते हैं।

क्र.सं.	जिला संसाधन व्यक्ति (DRP)	आवंटित जिला	नवीन अनुबन्ध अवधि
1	अविनाश कुमार खांडेकर	अजमेर	08-06-2026 से 07.06.2027
2	राज कुमार निमेश	अलवर	08-06-2026 से 07.06.2027
3	इकबाल मोहम्मद कायमखानी	चित्तौड़गढ़	07-06-2026 से 06.06.2027
4	गणपत बैरवा	दौसा	07-06-2026 से 06.06.2027
5	अमनदीप कौर	हनुमानगढ़	07-06-2026 से 06.06.2027
6	मुकेश कुमार पुजारी	हनुमानगढ़	07-06-2026 से 06.06.2027
7	तनुज मित्तल	जयपुर	07-06-2026 से 06.06.2027
8	ज्योति कुमारी गुर्जर	जयपुर	11-06-2026 से 10.06.2027
9	जेमिनि सैनी	जयपुर	13-06-2026 से 12.06.2027
10	नरपत सिंह भाटी	जैसलमेर	07-06-2026 से 06.06.2027
11	सोना राम	जालौर	07-06-2026 से 06.06.2027
12	रविन्द्र गोचर	झालावाड	07-06-2026 से 06.06.2027
13	दौलत राम	झुन्झुनू	07-06-2026 से 06.06.2027
14	विजेन्द्र कुमार	झुन्झुनू	07-06-2026 से 06.06.2027
15	मो० शहजाद चौहान	झुन्झुनू	07-06-2026 से 06.06.2027
16	अब्दुल हमीद	जोधपुर	08-06-2026 से 07.06.2027
17	पंकज कुमार अग्रवाल	करौली	08-06-2026 से 07.06.2027
18	मुकेश कुमार	कोटा	07-06-2026 से 06.06.2027
19	सीमा आचार्य	नागौर	07-06-2026 से 06.06.2027
20	शारदा सुमन व्यास	नागौर	07-06-2026 से 06.06.2027
21	राकेश आचार्य	पाली	07-06-2026 से 06.06.2027
22	बलराम सिंह गौड	सवाई माधोपुर	08-06-2026 से 07.06.2027
23	दीपेश सिंह तंवर	सीकर	07-06-2026 से 06.06.2027
24	मकसूद अली	सीकर	07-06-2026 से 06.06.2027
25	नीतू साहू	टोंक	06-06-2026 से 05.06.2027
26	सुखविन्द्र सिंह	झुन्झुनू	10-07-2026 से 09.07.2027

प्रमाणित No.: 22971944

उपरोक्त 26 व्यक्तियों की जिला संसाधन व्यक्ति के रूप में ली जा रही संविदा सेवाएं पूर्णतः अस्थायी तौर पर ली जा रही हैं। भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थाईकरण या राजकीय सेवा में लिये जाने बाबत कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में पेश नहीं किया जावेगा। उपरोक्त 26 जिला संसाधन व्यक्तियों द्वारा मासिक संविदा आधारित सेवा के लिए 500/- रुपये के नॉन जुडीशियल स्टॉम्प पर सलग्न प्रारूप में नए सिरे से अनुबन्ध पत्र (Agreement) उपरोक्त आदेश जारी होने के 10 दिवस में भरकर सोसायटी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(सांवर मल वर्मा)

निदेशक

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

क्रमांक एफ 61(157)SDS/SRP/DRP/चयन संबंधी / 2021—III 03505 / जयपुर, दिनांक As per E-sign
प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर सम्बंधित।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सम्बंधित।
4. मुख्य लेखाधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष सोसायटी (SSAAT)।
5. प्रोग्रामर, (SSAAT) मुख्यालय।
6. निजी सचिव, निदेशक (SSAAT)।
7. परियोजना अधिकारी (लेखा), जिला परिषद सम्बंधित।
8. सामाजिक विकास विशेषज्ञ (SSAAT)।
9. सम्बंधित राज्य संसाधन व्यक्ति (SSAAT)।
10. श्री जिला संसाधन व्यक्ति सम्बंधित।
11. स्थापना शाखा/बिल शाखा (SSAAT) जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (SSAAT)